FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

प्रार्थी ......प्रकुलाल...... बनाम ......मंगु...... अप्रार्थी

किस्म मुकदमा–(प्रार्थना पत्र) ......212 RTA...... प्रकरण संख्या–......3....../2021

2021/00014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-1-2021	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री ......प्रकुलाल...... पिता ......मंगु...... जाति ......भील...... निवासी ......ग्राम कुपडा P.S. मदर जिला बांसवाड़ा...... द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा ......212...... विरूद्ध अप्रार्थीगण श्री ......मणिलाल जोशी...... पिता ......जुगतराम जोशी...... जाति ......ब्राह्मण...... निवासी ......ग्राम कुपडा P.S. मदर...... के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक ......02-02-2021...... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
02-02-2021	पत्रावली पेश। वकालतनामा हाजिर। प्रतिवादीगण की ओर से ~~जवाब~~ [प्रार्थना पत्र] पेश हुआ। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18-02-2021 को पेश हो। ~~जवाब~~ [प्रार्थना पत्र] की प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई।	
18-2-2021	पत्रावली पेश। वकालतनामा हाजिर। [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 16-3-2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-9.22	पत्रावली पेश हुई बमुलाहजा अधिकारी पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 11-10-22 को पेश हो। [signature]	
11.10.22	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 7.11.22 को पेश हो।	
7-11-2022	पत्रावली पेश हुई बमुलाहजा अधिकारी बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14-11-2022 को पेश हो। [signature]	
14.11.22	पत्रावली पेश हुई। आदेश उभय पक्ष उप० आये प्रार्थना-पत्र वापिस लिया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नियमानुसार जमा की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर R.A.S. उपखण्ड अधिकारी-बांस०

प्रकरण सं. - 04/2021 दायरा तारीख- 28-01-21

उनवान

श्री प्रभु लाल पिता श्री मंगु जाति भील नि. कपूड़ा (प्रार्थी)

बनाम

[redacted]1. मणिलाल जोशी पिता श्री जुगतराम जोशी
2. कान्तिलाल जोशी पिता श्री जुगतराम जोशी
3. रेवाशंकर जोशी पिता श्री जुगतराम जोशी
4. अशोक जोशी पिता श्री जुगतराम जोशी
5. जगदीश जोशी पिता श्री मणिलाल जोशी

समस्त जाति ब्राह्मण नि० कूपड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

1. श्री यशपाल गुप्ता - अभिभाषक प्रार्थी
2. " समर पंड्या - अभिभाषक अप्रार्थीगण

-: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आर.टी.ए. :-

– निर्णय – [illegible] –

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा-188, 209 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में संस्थित कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमशः.. –

प्रार्थी के मिलकियत एवं कब्जे की आराजियात खाता सं. 282 नया 249 पुराना ख. नं. 379, 750, 752, 781, 788, 1096/1, 1127/1, 1203/747, 1314/1133, 1809/1096 कुल किता 10 कुल रकबा 10-12 बीघा ग्राम कूपड़ा में स्थित है। जोकि राजस्व अभिलेख जमाबंदी 2070-73 में प्रार्थी की खातेदारी में है।

खसरा नं. 379 रकबा 0.09 बिस्वा जोकि डूंगरपुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग से लगता हुआ है जो प्रार्थी खलिहान के रूप में काम में ले रहा है और अपने पूर्वजों के समय से काबिज है। दिनांक 06.1.2021 को अप्रार्थीगण ने ख. नं. 379 रकबा 0.09 बिस्वा में जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादग्रस्त आराजी को समतल करने की चेष्टा की। मना करने के बावजूद भी पुनः उक्त गतिविधि दिनांक 11.01.21 को करने का प्रयास करते हुये पत्थर, मिट्टी डालते हुये प्रार्थी के साथ गाली-गलौच की। प्रार्थी द्वारा 12.01.21 को थाने पर शिकायत दर्ज करवाने उपरान्त थानाधिकारी द्वारा कार्य बंद करवाया गया।

अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से वादग्रस्त आराजी ख. नं. 379 पर जबरन प्रवेश कर खुर्द-बुर्द करने, निर्माण करने पर उतारू है। चूंकि वादग्रस्त आराजी हमारी खातेदारी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में ~~होने~~ होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

contd. - - -

अप्रार्थीगण वादग्रस्त खे. नं. 379 रकबा 0.09 बिस्वा पर प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा न पहुंचाये जबरन प्रवेश न करे और न ही अनाधिकृत निर्माण करवाये न स्वयं करे।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री समर पंड्या ने जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली पर बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खे. नं. 379 पर अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करने पर आमादा होकर किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के जवाब में खे नं. 380, 380/1 संपरिवर्तित है। निर्माण स्वीकृति भी संबंधित ग्राम पंचायत से नहीं ली गयी है। अवाप्त भूमि NH-927 में आने से वादग्रस्त है। इसमें वादी की भूमि नहीं है क्योंकि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं है। अतः विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण हमारे पक्ष में होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति भी हमें ही होगी।

निवेदन है प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त वादग्रस्त आराजी पर पाबंद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने ... अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किया कि ... रकबा 0.09 बिस्वा संवत् 2032 में दर्ज रास्ता है जो मौका पर्चा तहसीलदार में भी अंकित है। हम हमारी आराजी पर निर्माण कर रहे है। प्रार्थी के तथ्य आधारहीन होकर कब्जा भी नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र औचित्यहीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

हमनें सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया।

जाहिर हुआ कि जमाबंदी संवत 2074-77 में खातेदार प्रभुलाल पुत्र मंगु हिस्सा पूर्ण जाति भील अंकित है जिसमें ख.नं. 379 भी सम्मिलित है। CALA बांसवाड़ा का नोटिस ख. नं.-379 के संदर्भ में प्रभुलाल पुत्र मंगु भील को ही जारी हुआ है।

अपने जवाब के विशेष कथन में अप्रार्थीगण ने ख.नं. 380/1, 382/1 का उल्लेख किया है। ख.नं. 379 के संदर्भ में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये है।

निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। प्रार्थी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त ख. नं. 379 रकबा 0.09 गाव कूपड़ा पर किसी भी प्रकार की दखल-अंदाजी न करे, न कोई निर्माण कार्य करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested